

## छात्रों हेतु आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के प्रातःकालीन (Day) एवं सायंकालीन (Evening-SFS) पारी के समस्त छात्रों को यह सूचित रहे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रत्येक छात्र की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में उन्हें नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।

अतः सभी छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे समय-सारणी (Time-Table) के अनुसार नियमित रूप से कक्षाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. छात्र सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर।
2. महाविद्यालय वेबसाइट

प्राचार्य